157

संख्या–880/XVIII(II)/2012–03(80)/2010

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 7 अगस्त, 2012

विषयः–राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल(एन0डी0आर0एफ0) के बटालियन की स्थापना हेतु ग्राम सराय जनपद, हरिद्वार स्थित 26.2490 है0 भूमि आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–1599/भूमि व्यवस्था–2012 दिनांक–17.05.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या–2069/XVIII(II)/2010-03(80)/2010 दिनांक–04.11.2010, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन बल के बटालियन की स्थापना हेतु ग्राम हरजौली जट, परगना मंगलौर तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार में 26.555 है0 निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, को अवक्रमित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल(एन0डी0आर0एफ0) के बटालियन की स्थापना हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित, ग्राम सराय जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत खसरा संख्या–71/2, 53,58/1, 61, 62, 63, 64, 66/4म, 67, 70, 72, 81, 82, 83 कुल रकबा 26.2490 है0 भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– उक्त भूमि आपदा प्रबन्धन विभाग को हस्तांतरित करने से पूर्व यथावश्यक नगर पालिका परिषद/नगर निगम बोर्ड से प्रस्ताव अनुमोदित करा लिया जायेगा।

2– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

3– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

4— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

7— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

8— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या—४४ ० /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— आयुक्त, गढवाल मण्ड़ल पौड़ी।
5— निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
6— प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।